दिनांक–17.11.2025 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में विभाग अंतर्गत समीक्षा हेतु आयोजित SOM की बैठक की कार्यवाही।

सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के निर्धारित उद्व्यय, अद्यतन आवंटन तथा व्यय एवं दिनांक–10.11.2025 को सम्पन्न SOM बैठक के कार्यवाही का अनुपालन की समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव महोदय द्वारा पुनः सभी योजनाओं के कार्य की प्रगति में तेजी लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा आवश्यक निर्माण सामग्री, श्रमिक बल की कार्यस्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

2. (क) बैठक में मैन/मैटेरियल एवं मशीनरी कि समीक्षा के क्रम में दरभंगा/ सिवान प्रक्षेत्र में प्रयुक्त की जा रही अपेक्षित कम मशीनरी/ मानवबल की ओर इंगित करते हुए सभी मुख्य अभियंता को इसकी संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रधान सचिव महोदय द्वारा उपलब्ध मैन/मैटेरियल एवं मशीनरी से संबंधित प्रतिवेदन में, अवशेष कार्य की राशि को अंकित कर अवशेष कार्य के सापेक्ष मैन/ मैटेरियल मशीनरी की आवश्यकता तद्नुसार उपलब्धता की समीक्षा कर इसे Highlight कर Bad/Good के रूप में प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।

(ख) प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र में पचास करोड़ से कम राशि वाली योजनाओं में भी उपलब्ध मैन/मैटेरियल एवं मशीनरी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं तत्संबंधी विवरणी आगामी SOM बैठक में प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़, पटना)

3. बागमती शान्तिधार–बूढ़ी गंडक लिंक योजना की समीक्षा के क्रम में संबंधित मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर द्वारा रूपांकण हेतु प्रस्ताव समर्पित किये जाने का उल्लेख किया गया। इस संदर्भ में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना द्वारा बताया गया कि आगामी दो दिनों में रूपांकण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना)

4. (क) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना परिक्षेत्राधीन FMP से संबंधित योजनाओं के वित्तीय प्रगति की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा बताया गया कि टाल विकास योजना में विचलन की स्वीकृति के पश्चात् शत–प्रतिशत व्यय कर लिया जायेगा।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

(ख) बाढ़ 2025 पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्यो से संबंधित प्रपत्र–8, 9 एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य 2025 संबंधी अद्यतन Form-24 प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियो को अक्टूबर तक के बाढ़ अवधि का Form-24 तथा बाढ़ 2025 पूर्व कटाव निरोधक कार्यो का प्रपत्र 8, 9 शत प्रतिशत इस सप्ताह के अंत तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निर्धारित अवधि में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले को चिन्हित कर उनसे कारण पृच्छा करने का भी निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

5. सभी सिंचाई प्रमंडलान्तर्गत किसानो के साथ संपन्न बैठक से संबंधित कार्रवाई हेतु दिये गये निदेश के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों से प्राप्त हुए प्रतिवेदन को समेकित कर Booklet का Draft तैयार कर लिया गया। इस संबंध में इस सप्ताह में अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/सिंचाई, पटना)

6. 20 Cusec तक के जलश्राव वाली नहरों में मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यो की समीक्षा ग्रामीण विकास विभाग के साथ किये जाने निमित बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, सिंचाई/ अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/4/सिंचाई)

7. (क) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान के परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित की जा रही पश्चिमी गंडक नहर परियोजना के **ERM** योजना अंतर्गत नहरों के विभिन्न Reach की वर्तमान स्थिति का मोनिटरिंग अंचल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता के साथ टीम गठित कर निरीक्षण कराये जाने की सूचना के क्रम में यह निदेशित किया गया कि प्रत्येक Reach का GPS Tagged Photograph (10 अदद्) के साथ प्रतिवेदन तैयार कर अगामी SOM की बैठक से पहले अवलोकन कराने का निदेश दिय गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2)

(ख) बैठक में प्रधान सचिव महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/बाढ़, पटना अंतर्गत योजनाओं को भी चिन्हित कर उनके विभिन्न Reach की वर्तमान स्थिति का मोनिटरिंग अंचल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता के साथ टीम गठित कर निरीक्षण कराने एवं प्रत्येक Reach का GPS Tagged Photograph (10 अदद्) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/बाढ़)

8. सोन नहर प्रणालियों में मौजूद क्षतिग्रस्त Navigation Channel Gate से अपेक्षित जलश्राव प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, यांत्रिक एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा बताया गया कि सिविल एवं यांत्रिक के निर्माण के रूपांकण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस संबंध में योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ मुख्य अभियंता, यांत्रिक/ मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, डिहरी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, पटना)

9. बदुआ डैम एवं चंदन डैम के गेटों में तकनीकी खराबी की मरम्मति की स्थिति की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा बताया गया कि SDSO के Expert Team द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा मरम्मति कार्य को 15 दिसम्बर तक प्रारंम्भ किया जाना संभावित है।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, बिहार)

10. नहर/तटबंधों पर अवस्थित विद्युत पोलो से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्यों की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर को उनके परिक्षेत्राधीन तटबंधों पर अवस्थित विद्युत पोलो से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को प्रेषित करने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित मोनिटरिंग अंचल को समीक्षोपरांत समेकित प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल)

11. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3 द्वारा बताया गया कि पुनपुन बराज योजना का परामर्शी द्वारा तैयार नया विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) मुख्यालय को प्राप्त है।

इस संबंध में समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन कार्यालय को अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3)

12. बरनार जलाशय योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा बताया गया कि पुनपुन योजना हेतु अधिग्रहित की गई भू–अभिलेख अबतक कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–2, गोह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से भू–अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण के संबंध में स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना)

13. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव महोदय द्वारा इस योजना अंतर्गत केवल अपूर्ण योजनाओं से संबंधित सूची/ प्रतिवेदन को अगामी SOM की बैठक में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/ सिंचाई, पटना)

14. (क) केंद्रांश की विमुक्ति की समीक्षा के क्रम में भूतही बलान विस्तार योजना के अंतर्गत Third Party Evaluation Report के Timeline निर्धारण कर कार्रवाई करने हेतु वाल्मी, पटना को निदेशित किया गया।

(ख) RMBA से संबंधित बाढ़ 2025 पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्यो में नियमानुसार शीघ्र व्यय करते हुए Expenditure Report AG को Audit हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ग) PMKSY अंतर्गत दुर्गावती जलाशय योजना के वर्ष 2024–25 का Audited Expenditure Report दिनांक–17.11.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को निदेशित किया गया। FMP योजना में 95 करोड़ की Mother Sanction के संबंध में Residence Engineer, New Delhi को संबंधित कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यकतानुसार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही North Koel परियोजना में कितना और Mother Sanction की राशि प्राप्त हो पायेगा इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– निदेशक, वाल्मी/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3/4/बाढ़/ Residence Engineer, New Delhi)

15. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी एवं सिवान अंतर्गत MCAD योजना की समीक्षा के क्रम में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन को दिनांक–18.11.2025 को VC के माध्यम से MCAD योजना के DDR तैयार करने एवं WUA के गठन से संबंधित विषय पर नियुक्त परामर्शी एवं संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, कैड के साथ बैठक आयोजित करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्य अभियंता, मोतिहारी/ सिवान/ अधीक्षण अभियंता, कैड, पटना)

16. (क) दिनांक–10.11.2025 को सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में न्यायिक मामलों की समीक्षा के क्रम में विधि पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि 21 न्यायिक मामलों को निर्धारित मापदण्डानुसार लंबित परर्शित किया गया है, जिसमें 06 सी0डब्लू0जे0सी0 एवं 03 एम0जे0सी0 के मामलें 46 से 60 दिनों में लंबित की श्रेणी में तथा 09 सी0डब्लू0जे0सी0 एवं 03 एम0जे0सी0 का मामला 60 दिनों से अधिक अवधि से लंबित श्रेणी में अंकित किया गया।

(ख) बैठक के क्रम में विभाग अंतर्गत लंबित LPA का अनुश्रवण करने एवं इसका अलग से समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(ग) मुख्य अभियंता, कटिहार प्रक्षेत्रान्तर्गत लंबित श्रीनिवास प्रसाद मंडल को अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल एवं तारकेश्वर सिंह के एम0जे0सी0 मामले को अवर सचिव/संयुक्त सचिव को समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई– अवर सचिव/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार)

17. WAPCOS द्वारा विभिन्न बराज निर्माण से संबंधित तैयार किये जा रहे योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन को WAPCOS के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं इसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना/DPRMC, पटना)

18. पूर्वी कोशी नहर प्रणाली (ERM) की समीक्षा के क्रम में संबंधित मुख्य अभियंता को योजना के DPR में प्रावधान के अनुसार Micro Irrigation से संबंधित Component को भी जोड़ कर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना)

19. बैठक में विभिन्न कार्यालयों द्वारा पदाधिकारियों की रिक्ति तदानुसार उसपर पदस्थापन की आवश्यकता का उल्लेख करने पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी आवश्यकता को संयुक्त सचिव (प्रबंधन) को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना)

20. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा द्वारा उनके परिक्षेत्राधीन कतिपय कार्यालयों का नाम SOP के अंतर्गत सूची में नहीं रहने पर आवश्यक कार्रवाई कर उसे सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, पटना)

21. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा उनके परिक्षेत्राधीन भू-खण्ड पर आवासीय भवन के निर्माण के आवश्यकता के क्रम में प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक-20.11.25

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक-20.11.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक-20/11/25

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

20/11/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक-20/11/25

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक– 20/11/25

प्रतिलिपि :– अपर सचिव–1 एवं 2/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री पद्म कान्त झा/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

20/11/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1/PMC/योजना/20/2024 961 पटना, दिनांक– 20/11/25

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/11/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना